# उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़–शेखावाटी (सीकर)

अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प रोहलसाहबसर

## –: आदेश :–

रूस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी रोहलसाहबसर व भू.अ.नि. रोहलसाहबसर की रिपोर्ट तथा खावाटी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के कल्याणपुरा तहसील **रामगढ़–शेखावाटी** व जिला **सीकर** की जमाबन्दी 77 में खाता संख्या 2 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को द्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:–

| ग्राम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।) |
|---|---|---|---|
| ल्याणपुरा (कल्याणपुरा) व अन्य प्रविष्टि यथावत | 2 | आशाराम पुत्र सुरजा<br>गोपाल पुत्र नाराणाराम<br>बुद्धाराम पुत्र नाराणाराम<br>हरीराम पुत्र नाराणाराम<br>समस्त जाति चमार | आशाराम पुत्र सुरजा<br>गोपाल पुत्र नाराणाराम<br>बुद्धाराम पुत्र नाराणाराम<br>हरीराम पुत्र नाराणाराम<br>समस्त जाति मेघवाल दुरुस्त |

( )

पीठससीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी रामगढ़–शेखावाटी (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी रामगढ़–शेखावाटी (सीकर)
लोक अदालत (कैम्प कोर्ट 2018)
ग्राम पंचायत रोहलसाहबसर

18

गढ़–**शेखावाटी** को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना शाराम पुत्र सुरजा व अन्य खातेदारान, जाति मेघवाल कल्याणपुरा को सूचनार्थ

( )

पीठससीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी रामगढ़–शेखावाटी (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी रामगढ़–शेखावाटी (सीकर)
लोक अदालत (कैम्प कोर्ट 2018)
ग्राम पंचायत रोहलसाहबसर

प्राप्त किया